न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–83/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00307)

1. रामलखन दास चेला स्व. श्री रामप्रसाद दास,
2. शंकरदास चेला स्व. श्री रामप्रसाद दास, निवासीयान 343, दादूदयाल आश्रम, खणदेवत मार्ग निवाई, जिला टोंक राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. शिवरामदास चेला श्री रामजीदास निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री हरलाल सिंह एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सीताराम शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 15.03.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स व रामदास ने एक प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम का तहसीलदार कोटखावदा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खाता संख्या 28 ग्राम मून्दाहेडी पटवार हल्का हरीपुरा के अन्तर्गत खसरा नम्बर 348, 349, 350/548, 371/585, 372, 492, 493, 494, 495, 531, 533/587, 534, 537, व 537/588 कुल किता 15 कुल रकबा 6.98 हैक्टयर उपरोक्त ग्राम में स्थित है जिसके 3/4 हिस्से की खातेदारी स्व. श्री रामप्रसाद दास चेला श्री चुन्नीदास के नाम दर्ज है, उक्त श्री रामप्रसाद दास छोटे बाबा के नाम से प्रसिद्ध है जो दादूदयाल आश्रम निवाई में निवास करते थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 21.06.2015 को हो चुका है तथा मौजूदा अपीलान्ट स्वर्गीय रामप्रसाद दास के चैले है जिनको स्व. छोटे बाबा ने अपने जीवनकाल में ही चेला बना लिया था जिसके संदर्भ में नगर पालिका निवाई द्वारा स्व. श्री रामप्रसाद दास के नाम से जारी किये गये राशनकार्ड में अपीलान्ट का नाम चेलों के रूप में दर्ज है तथा अपीलान्ट के नाम से भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आधार कार्ड व चुनाव परिचय पत्र आदि में भी अपीलान्ट्स के नाम की वल्दियत में स्व. श्री रामप्रसाद दास के नाम अंकित है व अपीलान्ट संख्या 1 के वाहन अनुज्ञा पत्र व अपीलान्ट संख्या 2 की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अमरनाथ यात्रा पर जाने हेतु बनाये गये पंजीकृत परिचय पत्र में भी स्व. श्री रामप्रसाद दास का नाम गुरू के रूप में अंकित है इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 2 के शैक्षणिक दस्तावेज में पिता के रूप में रामप्रसाद दास का नाम अंकित किया हुआ है जिससे यह पूर्णतया साबित है कि श्री रामप्रसाद दास के अपीलान्ट ही वारिस है तथा मौजूदा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शिवरामदास का स्व. श्री रामप्रसाद दास जी से किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है परन्तु शिवरामदास ने नाजायज तरीके से ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलीभगत कर ग्राम काशीपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 161, 163/1, 163/10, 163/11, 163/12, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 171, 311, 321 कुल किता 16 कुल रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा का नामान्तरकरण फर्जीवाडे से स्व. श्री रामप्रसाद दास का वारिस बनाकर स्वयं के हक में दर्ज करवा लिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट शंकरदास ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा मौजूदा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शिवरामदास को वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व बेचान व निमार्ण नही करने हेतु पाबंद किया हुआ है। इसी कुत्सित उद्देश्य की पूर्ति हेतु नाजायज तरीके से प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण के पिता तुल्य गुरू की भूमि को हड़पने हेतु नाजायज प्रयास कर रहा है जबकि वह वास्तव में प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम जारी प्रश्नगत खसरा नम्बरान की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 से भी साबित है जिसमें शिवरादास चेला रामजीदास हिस्सा 1/4 अंकित किया गया है। इसी प्रकार स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 13.08.2015 को निष्पादित किया है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने आपको स्व. श्री रामजीदास का चेला होना अंकित किया है परन्तु फर्जी तरीके से उक्त उपहार पत्र में पिता के रूप में स्व. श्री रामप्रसाद दास जी का नाम अंकित है जबकि स्व. श्री रामप्रसाद दास जी महाजन आजीवन अविवाहित थे और उनके कोई भी जायन्दा संतान ही थी इसलिये निर्विवाद रूप से अपीलार्थीगण ही स्व. श्री रामप्रसाद दास जी के विधिक वारिसान है। इसलिये उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि का विरासत नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम दर्ज व स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2017 पारित करते हुए प्रश्नगत खसरा नम्बरान की भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जो कि विधि एवं तथ्यों के सरासर विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 अपास्त किया जावे तथा प्रश्नगत कृषि भूमि खाता संख्या 28 ग्राम मून्दाहेडी पटवार हल्का हरीपुरा के अन्तर्गत खसरा नम्बर 348, 349, 350/548, 371/585, 372, 492, 493, 494, 495, 531, 533/587, 534, 537, व 537/588 कुल किता 15 कुल रकबा 6.98 हैक्टयर उपरोक्त ग्राम में स्थित है जिसके 3/4 हिस्से की खातेदारी स्व. श्री रामप्रसाद दास चेला श्री चुन्नीदास के नाम दर्ज है, का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम दर्ज स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

राजस्व अपील आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा के समक्ष रामदास तथाकथित चेला रामप्रसाद दास की ओर से विरासत का नामान्तरकरण खोलने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2015 को पेश किया गया और तथाकथित रामदास का का प्रार्थना पत्र अस्वीकार हो गया इसलिये अपील पेश करने का अधिकार मात्र रामदास तथाकथत चेला रामप्रसाद दास तक ही सीमित है जबकि हस्तगत अपील रामलखनदास व शंकरदास की ओर से भी पेश की गई है लिहाजा अपील प्राथमिक रूप से चलने योग्य नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट रामलखनदास व शंकरदास तो विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.07.2016 को बहैसियत गवाह उपस्थित होकर अपने फोटो पहचान पत्र व शपथ पत्र पेश किये इसलिये गवाह को अपील पेश करने का कोई अधिकार प्रक्रिया संहिता में नही है इसलिये भी हस्तगत अपील में अपीलान्ट ने तहसीलदार कोटखावदा के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार कानून में नही होने के कारण उक्त शीर्षक अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि तथाकथित अपीलान्ट द्वारा यह कहना कि कहना कि रेस्पोडेट संख्या 2 रामजीदास का चेला है इस बाबत निवेदन है कि रामजीदास रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शिवरामदास का सगा भाई था और उसकी मृत्यु के बाद उसका नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम खुल गया और इस प्रकार रिकार्ड शिवरामदास चेला रामजीदास अंकित हो गया, रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार बस्सी के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश किया और ग्राम पंचायत ने जो सजरा बनाया उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि वह रामप्रसाद दास जी का शिष्य/बेटा है और ग्राम पंचायत सजरा बताते हुये रामप्रसाद दास जी का चेला रेस्पोडेन्ट सख्या 2 को मानते हुये नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकार किया गया किन्तु रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की वल्दियत शिवरामदास चेला रामजीदास अंकित कर दी जिसे दुरूस्ती की कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 चाराजोही करके करवा लेगा इससे अपीलान्ट को कोई फायदा नही मिलता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की वल्दियत यदि उसके भाई के नाम से हो गई तो उससे अपीलान्ट को रामप्रसाद दास जी का शिष्य होने की पुष्ठि नही हो सकती। लिहाजा गलत रूप से पेश अपील खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की लिखित बहस के तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना न्यायोचित है। अत अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पत्रादि के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह निर्विवाद तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार श्री रामप्रसाद दास श्री दादूदयाल आश्रम निवाई जिला टोंक में निवास करते थे और उनका स्वर्गवास दिनांक 21.06.2015 को हुआ तथा अपीलान्ट रामलखन दास के नाम 098–निवाई निर्वाचन क्षेत्र का जारी वोटर

पहचान पत्र संख्या एबीएफ/0390773 दिनांक 31.12.2011 में उनके पिता का नाम रामप्रसाद दास अंकित है जबकि नामान्तरकरण संख्या 557 ग्राम काशीपुरा में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शिवरामदास चैला रामजीदास अंकित है तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामप्रसाद का वारिस मानने के ठोस आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 पारित किया है जो उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ तहसीलदार कोटखावदा को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के नाम दर्ज व स्वीकार किया जावें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।